प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-204/2025 दिनांक 23.07.2025)
दिनांक-23.07.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

हिन्दू नाबालिग लड़कियों को सक्रिय संगठित गिरोह द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सहित 04 लोग गिरफ्तार-

दिनांक 19.07.2025 को थाना रामकोला पर पीड़िता के पिता प्रेम पुत्र छठ्ठू मद्धेशिया साकिन टेकुआटार टोला खैरटवा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 11.07.2025 को उनकी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष को गाँव के ही अरमान पुत्र अमरूदीन अपने साथी हमदम पुत्र जैनुदीन सा0 रामबर की मदद से शादी का झाँसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 315/25 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूर्व में भी थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 250/2025 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें वादी रामचरित प्रसाद द्वारा इनकी 02 नाबालिक लड़की व उसकी 01 नाबालिक सहेली तीनों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसमें तीनों नाबालिक लड़कियों को मुम्बई (महराष्ट्र) से बरामद कर लिया गया था। इन्ही तीनों नाबालिक लड़कियों में से पुनः दिनांक 11.07.2025 को वादी प्रेम मद्धेशिया की नबालिक पुत्री को अभियुक्त 1- अरमान अली पुत्र अरबुद्दीन अली निवासी टेकुआटार पकडी पुरवा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 2. हमदम अंसारी पुत्र जैनुद्दीन अंसारी सा0 रामबर बुजुर्ग थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया था।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पीड़िता की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों को गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि टेकुआ टार थाना रामकोला क्षेत्र के एक संगठित गिरोह के मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा हिन्दू समुदाय की नाबालिक लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फसाकर तथा धर्म परिवर्तन कराकर इनके नकली डाक्यूमेन्ट (आधार कार्ड व अन्य) तैयार करके घर से भगा ले जाकर दुष्कर्म एवं

Edit with WPS Office

अनैतिक कृत्य कराते थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.07.2025 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पीडिता की सकुशल बरामदगी की गयी एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तगण 1- अरमान अली पुत्र अरबुद्दीन अली निवासी टेकुआटार पकडी पुरवा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर उम्र 23 वर्ष, 2- अरबाज पुत्र समीउल्लाह सा0 टेकुआटार पकडी टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर उम्र करीब 20 वर्ष, 3- इकरामुल हक पुत्र मैनुद्दीन पता बेलवा रामजश थाना कसया जनपद कुशीनगर उम्र करीब 28 वर्ष व 4- एक महिला अभियुक्ता जैरुननिशा पत्नी जैनुद्दीन अंसारी पता रामबर बुजुर्ग थाना रामकोला जनपद कुशीनगर उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछ-ताछ विवरण—
पूछ-ताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनका लव जिहाद से सम्बन्धित सक्रिय संगठित गिरोह जो हिन्दू समुदाय की नाबालिग लडकियों को बहला फुसलाकर एवं प्रलोभन देकर अपने प्रेम जाल में फसाकर धर्म परिवर्तित कराकर उनका यौन शोषण करते हैं।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-
1- मु0अ0सं0 315/2025 धारा 111(2)(B) /137(2) /87 /64(1) /61(2) /351(3) /418(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूध्द धर्म संपरिवर्तन अधिनियम थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2- मु0अ0सं0 250/2025 धारा 137(2) बीएनएस थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1- अरमान अली पुत्र अरबुद्दीन अली निवासी टेकुआटार पकडी पुरवा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2- अरबाज पुत्र समीउल्लाह साकिन टेकुआटार पकडी टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3- नाम इकरामुल हक पुत्र मैनुद्दीन पता बेलवा रामजश थाना कसया जनपद कुशीनगर
4- अभियुक्ता जैरुननिशा पत्नी जैनुद्दीन अंसारी पता रामबर बुजुर्ग थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-
1- 3 अदद आधार कार्ड नाबालिग पीड़िता से सम्बन्धित (धर्म बदले हुए)
2- अपराध में प्रयुक्त 7 अदद फर्जी सिम

Edit with WPS Office

3- अपराध में प्रयुक्त एक अदद चार पहिया आर्टिगा वाहन संख्या UP57BS7295
4- अपराध में प्रयुक्त 03 अदद मोबाइल एन्ड्रॉयड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1- प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2- व0उ0नि0 सुभाषचन्द श्रीवत्स थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3- उ0नि0 उपेन्द्र यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4- उ0नि0 सदानन्द गौड थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5- म0उ0नि0 करिश्मा यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
6- का0 सोनू यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
7- का0 रविप्रकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
8- का0 रवि यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
9- का0 रविन्द्र चौहान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
10- म0का0 मोनिका सिंह भदौरिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 63 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-60 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-55, व्यक्ति-162
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-67)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office